प्रेस को सूचना नोट (प्रेस विज्ञप्ति संख्या 21/ 2024)

तत्काल प्रकाशन के लिए

भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण

भादूविप्रा द्वारा 'दूरसंचार अवसंरचना की साझेदारी, स्पेक्ट्रम की साझेदारी तथा स्पेक्ट्रम को पट्टे पर देने' विषय पर अनुशंसाएँ जारी की गई ।

नई दिल्ली, 24 अप्रैल 2024 — भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण (भादूविप्रा) ने आज **'दूरसंचार अवसंरचना की साझेदारी, स्पेक्ट्रम की साझेदारी तथा स्पेक्ट्रम को पट्टे पर देने'** विषय पर अनुशंसाएँ जारी की ।

2. दूरसंचार विभाग (डीओटी) ने अपने पत्र दिनांक 07.12.2021 के माध्यम से भादूविप्रा को दूरसंचार ऑपरेटरों के बीच कोर नेटवर्क तत्वों जैसे एमएससी, एचएलआर, आईएन आदि को साझा करने की अनुमति देने के लिए भादूविप्रा अधिनियम, 1997 (संशोधित) की धारा 11 (1) (ए) के तहत सिफारिशें प्रदान करने का अनुरोध किया था। इसके बाद, डीओटी ने अपने पत्र दिनांक 10.02.2022 में अपने पूर्व के पत्र दिनांक 07.12.2021 का उल्लेख करते हुए भादूविप्रा को सूचित किया कि लाइसेंसधारियों के बीच इष्टतम संसाधन उपयोग को बढ़ावा देने के लिए भारतीय टेलीग्राफ अधिनियम, 1885 की धारा 4 के तहत अधिकृत दूरसंचार सेवाओं के प्रावधान के लिए लाइसेंस प्राप्त सेवा प्रदाताओं की सभी श्रेणियों के बीच सभी प्रकार के दूरसंचार अवसंरचना और नेटवर्क तत्वों को साझा करने की अनुमति देने का प्रस्ताव है। उक्त पत्र के माध्यम से दूरसंचार विभाग ने भादूविप्रा से इस विषय पर अपनी सिफारिशें प्रस्तुत करने का अनुरोध किया।

3. अंतर-बैंड स्पेक्ट्रम साझेदारी एवं स्पेक्ट्रम को पट्टे पर देने की अनुमति के हितधारकों के अनुरोध पर विचार करते हुए प्राधिकरण ने स्पेक्ट्रम साझेदारी एवं स्पेक्ट्रम को पट्टे पर देने से संबंधित मुद्दों को अवसंरचना साझेदारी से संबंधित मुद्दों के साथ उठाने का निर्णय लिया।

4. राष्ट्रीय डिजिटल संचार नीति (एनडीसीपी) 2018 भारत के सामाजिक-आर्थिक लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए सार्वजनिक लाभ के लिए स्पेक्ट्रम को एक प्रमुख प्राकृतिक संसाधन के रूप में मानती है। इस संदर्भ में, एनडीसीपी 2018 देश में स्पेक्ट्रम साझाकरण, पट्टे पर देना, और ट्रेडिंग व्यवस्था को और उदार बनाने का लक्ष्य रखती है। नव अधिनियमित दूरसंचार अधिनियम, 2023 में प्रावधान है कि केंद्र सरकार निर्धारित स्पेक्ट्रम के साझाकरण, ट्रेडिंग, पट्टे और सरेन्डर की अनुमति, लागू शुल्क या प्रभार, नियमों और शर्तों के अधीन दे सकती है।

5. इस संबंध में भादूविप्रा ने हितधारकों से टिप्पणियां/ प्रति-टिप्पणियां मांगने के लिए 13.01.2023 को 'दूरसंचार अवसंरचना की साझेदारी, स्पेक्ट्रम की साझेदारी तथा स्पेक्ट्रम को पट्टे पर देने' पर एक परामर्श पत्र जारी किया। इसके प्रत्युत्तर में 21 हितधारकों ने अपनी टिप्पणियां प्रस्तुत की एवं पाँच हितधारकों ने प्रति टिप्पणियां प्रस्तुत कीं। परामर्श पत्र पर एक ओपन हाउस चर्चा 24.05.2023 को वर्चुअल मोड के माध्यम से आयोजित की गई थी ।

6. हितधारकों से प्राप्त टिप्पणियों/ प्रति टिप्पणियों और अपने स्वयं के विश्लेषण के आधार पर भादूविप्रा ने **'दूरसंचार अवसंरचना की साझेदारी, स्पेक्ट्रम की साझेदारी तथा स्पेक्ट्रम को पटटे पर देने'** पर अपनी सिफारिशों को अंतिम रूप दे दिया है। सिफारिशों की मुख्य विशेषताएं इस प्रकार हैं:

(i) दूरसंचार सेवा लाइसेंसधारियों को निष्क्रिय अवसंरचना जैसे भवन, टावर, बैटरी और पावर प्लांट सहित विद्युत उपकरण, डार्क फाइबर, डक्ट स्पेस, राइट ऑफ वे आदि, जिनका स्वामित्व, स्थापना, और संचालन उनके द्वारा संबंधित लाइसेंस के अंतर्गत किया जाता है, को सभी प्रकार के दूरसंचार सेवा लाइसेंसधारियों के साथ साझा करने की अनुमति दी जानी चाहिए।

(ii) दूरसंचार सेवा लाइसेंसधारियों को सभी प्रकार के सक्रिय अवसंरचना के तत्वों, जिनका स्वामित्व, स्थापना और संचालन उनके लाइसेंसों के तहत किया गया हो, को सभी प्रकार के दूरसंचार सेवा लाइसेंसधारियों के साथ उनकी सेवाओं के दायरे के अनुसार साझा करने की अनुमति दी जानी चाहिए।

(iii) भारतीय टेलीग्राफ अधिनियम, 1885 के तहत यूनिवर्सल सर्विस ऑब्लिगेशन फंड (यूएसओएफ) (या दूरसंचार अधिनियम, 2023 के तहत डिजिटल भारत निधि) की भविष्य की परियोजनाओं में दूरसंचार विभाग को यूनिवर्सल सर्विस प्रोवाइडर (यूएसपी) के साथ समझौते में एक प्रावधान शामिल करना चाहिए कि कोई यूएसपी परियोजना के तहत बनाए गए निष्क्रिय अवसंरचना को पारदर्शी और गैर-भेदभावपूर्ण आधार पर कम से कम दो अन्य दूरसंचार सेवा प्रदाताओं के साथ साझा करने से इनकार नहीं करेगा।

(iv) दूरसंचार विभाग को यूएसओएफ की पहले से दी जा चुकी परियोजनाओं में ऐसे यूएसपी को निर्देश जारी करने की व्यवहार्यता का पता लगाना चाहिए कि यूएसपी परियोजना के तहत बनाई गई निष्क्रिय अवसंरचना को पारदर्शी और गैर-भेदभावपूर्ण आधार पर कम से कम दो अन्य दूरसंचार सेवा प्रदाताओं के साथ साझा करने से इनकार नहीं करेगा।

(v) उपभोक्ताओं के हित में दूरसंचार सेवा प्रदाता जिसने यूएसओएफ (या डिजिटल भारत निधि) के तहत सरकार से पूर्ण या आंशिक वित्त पोषण के साथ देश के दूरवर्ती एवं दूर-दराज के क्षेत्रों में मोबाइल नेटवर्क अवसंरचना का निर्माण किया है को शुरुआत में तीन साल की अवधि के लिए ऐसे दूरवर्ती एवं दूर-दराज के क्षेत्रों में अपने नेटवर्क पर अन्य दूरसंचार सेवा प्रदाताओं को रोमिंग की अनुमति देना अनिवार्य किया जाना चाहिए।

(vi) एक्सेस सेवा प्रदाताओं के बीच एलएसए में इंटर-बैंड एक्सेस स्पेक्ट्रम शेयरिंग [जिसे उभयनिष्ठ रेडियो एक्सेस नेटवर्क के माध्यम से भाग लेने वाले एक्सेस प्रदाताओं के विभिन्न फ्रीक्वेंसी बैंडों के एक्सेस स्पेक्ट्रम की पूलिंग के माध्यम से या पार्टनरिंग एक्सेस प्रदाताओं को एक दूसरे के साझा फ्रीक्वन्सी बैंडों में रेडियो एक्सेस नेटवर्क के प्रयोग की अनुमति देकर लागू किया जा सकता है] की अनुमति दी जानी चाहिए।

(vii) दूरसंचार विभाग को भारत में अधिकृत साझा पहुंच (एएसए) तकनीक - आधारित स्पेक्ट्रम साझाकरण को लागू करने की संभावना तलाशनी चाहिए, जिसके तहत आईएमटी सेवाओं के लिए वैश्विक स्तर पर सामंजस्यपूर्ण स्पेक्ट्रम बैंड में सरकारी एजेंसियों या अन्य संस्थाओं (गैर-टीएसपी) को आवंटित स्पेक्ट्रम सेवा प्रदाताओं को अप्रधान उपयोगकर्ताओं के रूप में एक्सेस करने के लिए सौंपा जा सकता है।

(ix) एक्सेस सेवा प्रदाताओं के बीच एक्सेस स्पेक्ट्रम को पट्टे की अनुमति दी जानी चाहिए।

7. इन सिफारिशों के माध्यम से भादूविप्रा ने उपरोक्त सिफारिशों के कार्यान्वयन के लिए आवश्यक नियम और शर्तें भी प्रदान की हैं।

8. दूरसंचार अवसंरचना साझाकरण पर सिफारिशों के कार्यान्वयन से दूरसंचार सेवा प्रदाताओं को अधिक लागत दक्षता और बाजार में कम समय में सेवाएं लाने में मदद मिलेगी। यूनिवर्सल सर्विस ऑब्लिगेशन फंड (यूएसओएफ) परियोजनाओं के तहत निष्क्रिय अवसंरचना को अनिवार्य रूप से साझा करने की सिफारिशों का उद्देश्य सरकार द्वारा वित्त पोषित अवसंरचना के प्रभावी उपयोग के माध्यम से वंचित क्षेत्रों में दूरसंचार कवरेज के लाभों को एक से अधिक दूरसंचार सेवा प्रदाताओं तक पहुंचाना है। इसके अलावा दूरवर्ती एवं दूर-दराज इलाकों में सरकारी वित्त पोषण से निर्मित

मोबाइल नेटवर्क अवसंरचना पर अनिवार्य रोमिंग की सिफारिशों का उद्देश्य गृह नेटवर्क प्रदाता की कनेक्टिविटी समस्याओं के कारण ग्राहकों को होने वाली कठिनाई को कम करना है।

9. वर्तमान में देश में केवल स्पेक्ट्रम ट्रेडिंग और इंट्रा-बैंड स्पेक्ट्रम साझाकरण की अनुमति है। दुर्लभ स्पेक्ट्रम के अधिक कुशल उपयोग के लिए भादूविप्रा ने सिफारिश की है कि स्पेक्ट्रम को पट्टे पर देने और इंटर-बैंड स्पेक्ट्रम साझाकरण की भी अनुमति दी जानी चाहिए। इन सिफारिशों के कार्यान्वयन से दूरसंचार सेवा प्रदाता बेहतर गुणवत्ता वाली सेवा और दूरसंचार सेवाओं की व्यापक कवरेज प्रदान करने में सक्षम होंगे। इसके अलावा अधिकृत साझा पहुंच (एएसए) तकनीक-आधारित स्पेक्ट्रम साझाकरण को लागू करने की संभावना तलाशने की सिफारिशों का उद्देश्य दुर्लभ संसाधन के कुशल और प्रभावी उपयोग को और मजबूत करना है।

10. इन सिफारिशों को भादूविप्रा की वेबसाइट www.trai.gov.in पर रखा गया है। स्पष्टीकरण/सूचना के लिए श्री अखिलेश कुमार त्रिवेदी, सलाहकार (नेटवर्क स्पेक्ट्रम एवं लाइसेंसिंग), भादूविप्रा से दूरभाष नम्बर +91-11-23210481 पर संपर्क किया जा सकता है या advmn@trai.gov.in पर ई-मेल किया जा सकता है।

वि. रघुनंदन

वि. रघुनंदन
(सचिव, भादूविप्रा)